राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (वी–41) अलेसे–I /   दिनांकः– 5-2-2014

कार्यालय आदेश

श्री विरेन्द्र नाथ दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर द्वारा अभियोग संख्या 484/2012 दर्ज करने एवं दिनांक 18.12.12 से 24.12.12 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 3055–59 दिनांक 08.01.13 के द्वारा दिनांक 18.12.12 से निलम्बित माना गया था। श्री दीक्षित के विरूद्ध सक्षम स्तर से उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने का निर्णय लेने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या 332/13–14 दिनांक 02.01.2014 के द्वारा निलम्बन से बहाल करते हुए निलम्बन अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिये जाने का उल्लेख किया गया था। अतः श्री दीक्षित के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रकरण नहीं बनने के कारण दिनांक 18.12.12 से 02.01.14 तक की निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने एवं निलम्बन अवधि के बकाया वेतन भत्ते (निर्वाह भत्ते को घटा कर) दिये जाने के एतदद्वारा आदेश प्रदान किये जाते है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (वी–41) अलेसे–I / 7920 - 7925   दिनांकः– 5-2-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 महानिरीक्षक, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज उदयपुर।
2 अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज जयपुर।
3 कोषाधिकारी, उदयपुर ग्रामीण।
4 श्री विरेन्द्र नाथ दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर ग्रामीण।
5 निजी सहायक निदेशक महोदया।
6 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7 गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)